

FORM No. 8 (P.S.)
(FOR EXEMPTED ESTABLISHMENTS ONLY)
THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995 [PARAGRAPH 20]

फार्म 8 (पेंशन स्कीम)

(केवल छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिये)

कर्मचारी पेन्शन स्कीम 1995 (पैराग्राफ 20)

Annual statement of Contribution For the Currency period from 1st.....20 to.....20.

.....20 से 20 तक की अवधि के लिए अंशदान विवरणी

Name & Address of the Establishment

स्थापना का नाम एवं पता

Code No. of the Establishment

स्थापना का कोड नं.

Sl. No. क्र. सं.	Account Number खाता संख्या	Name of the member (in block letters) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	Wages, retaining allowances (if any) and D.A. including cash value of food concession paid during the currency period मजदूरी प्रतिधारण भता (यदि कोई है) तथा चालू अवधि में भुगतान किए गए मँहगाई भते खाद्य रिहायत को सम्मिलित करते हुए।	Contribution to Pension Fund 8.33% (Rs.) पेंशन निधि में अंशदान 8.33% रूपये	Remarks अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Reconciliation of Remittances Total Rs. Rs.

भुगतान का समाधान जोड़ रू. रू.

Sl. No. Month Pension Fund Contributions A/c. No. 10

1.	Rs.	<p>Certified that the difference between the figures of total Pension Fund contributions remitted during the currency period & the total Pension Fund contribution shown under Col. 5 is solely due to the rounding of amounts to the nearest Rupee under the rules.</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि चालू अवधि में भुगतान की गई पेंशन निधि की कुल राशि तथा पेंशन निधि के अंशदान कालम 5 में दिखाए गए अनुसार जो अन्तर है वह नियमानुसार रूपये को निकटतम अंकों को पूर्ण करने का कारण है।</p>	<p>(i) Total number of contribution cards enclosed Form 7 (PS)</p> <p>(ii) Certified that Form 7 (PS) completed, of all the members listed in this statement are enclosed, except those already sent during the course of the currency period for the final settlement of the concerned members account "Remarks" furnished against the names of the respective members above.</p> <p>प्रपत्र 7 (पेंशन स्कीम) के संलग्न अंशदान कार्ड की कुल संख्या..... प्रमाणित किया जाता है कि सदस्यों की सूची संलग्न विवरण के अनुसार प्रपत्र 7 (पेंशन स्कीम) का मिलान, केवल उनको छोड़कर जो निर्णायन के उद्देश्य से चालू वर्ष में पहले भेज दिए गए हैं कर लिया गया है। ऐसे सदस्यों के नाम के सम्मुख अभ्युक्ति दे दी गई है।</p>
2.	Rs.		
3.	Rs.		
4.	Rs.		
5.	Rs.		
6.	Rs.		
7.	Rs.		
8.	Rs.		
9.	Rs.		
10.	Rs.		
11.	Rs.		
12.	Rs.		
Total	Rs.	<p>Signature of the Employer (With Office Seal) नियोक्ता के हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)</p>	

NOTE: (1) The names of all members, including those who had left service during the currency period should be included in this statement. Where the Form 7 (PS) in respect of such members had left service were already sent to the Regional Office for the purpose of final settlement of their accounts, the fact should be stated against the members in the "Remarks" column above thus: 'Form 7 (PS) already sent in the month of20.....'

उन सदस्यों का नाम जो चालू वर्ष में नौकरी छोड़कर चले गए हैं, इस विवरण में दर्शाये जाएं, ऐसे सदस्यों के मामले में यदि प्रपत्र-7 (पेंशन स्कीम) क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके खातों के निपटान हेतु पहले ही भेज दिए गए हैं, में उनके नाम के सम्मुख इस प्रकार की अभ्युक्ति की जाए प्रपत्र-7 (पेंशन स्कीम) पहले हीमाह 20..... में भेज दिए गए हैं।

(2) In case of substantial variation in the wages, contributions of any members as compared to those shown in previous statement, the reason should be explained adequately in the "Remarks" column.

किसी सदस्य की मजदूरी, अंशदान में वास्तविक अन्तर के मामले में जैसा कि पहले विवरण में दिखाए गए है 'अभ्युक्ति' कालम में पर्याप्त कारण स्पष्ट किए जाएं।